जी.एस. संधावालिया जे. के समक्ष

रविंदर सिंह और अन्य - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अन्य - *प्रतिवादी*

CWP No. 8634 of 2021

12 नवंबर 2021

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226- रिट याचिका- कला और शिल्प शिक्षकों के लिए चयन प्रक्रिया- चुनौती- चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद मानदंडों में बदलाव - एक केंद्र पर उम्मीदवारों को अलग-अलग प्रश्न पत्र- विज्ञापित पदों के तीन गुना उम्मीदवारों को उनकी पात्रता तय किए बिना, पात्र को बाहर करने के लिये, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। - इसके अलावा, जो उम्मीदवार न्यूनतम मानदंड से नीचे थे, उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनके रोल नंबर साक्षात्कार के लिए शामिल नहीं थे - माना गया कि पात्र लोगों को शॉर्टलिस्ट करने से पहले, उम्मीदवारो की पात्रता स्पष्ट न करने में सबसे पहले आवश्यक योग्यताओं की जांच करते समय, आयोग द्वारा विसंगति हुई है - इसने मुकदमेबाजी को जन्म दिया - यह उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे आवश्यक योग्यताओं की सही घोषणा करें - बोर्ड उम्मीदवारों द्वारा न्यूनतम निर्धारित मानदंड उत्तीर्ण करने के बाद ही बाद के समय में पात्रता की जांच करेगा - केवल इसलिए कि एक उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, उसे नियुक्त होने का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलेगा - बाद के चरण में अयोग्य घोषित किया जा सकता है; रोक का सिद्धांत लागू नहीं होता है - याचिकाकर्ताओं को केवल विचार करने का अधिकार है और नियुक्ति का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है - आगे कहा गया है, मुख्य परीक्षक की राय पर भरोसा करते हुए कि दूसरा पेपर भी पहले के समान कठिनाई स्तर का था, यह नहीं कहा जा सकता है प्रश्न पत्र का दूसरा सेट गलती से खुलने के कारण अन्य केंद्रों के अभ्यर्थियों के अधिकार खतरे में पड़ गए हैं - खुलासे को रोकने के लिए कभी-कभी अभ्यर्थियों को अलग-अलग प्रश्न पत्र दिए जाते हैं और चयन एजेंसियों द्वारा संतुलन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है - याचिकाएं खारिज

माना गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयोग द्वारा इस हद तक विसंगति की गई है कि सबसे पहले आवश्यक योग्यताओं की जांच करते समय और फिर उन व्यक्तियों की संख्या को सूचीबद्ध करके जो विधिवत पात्र हैं और जिसने 28.12.2020 की नई सूचना में दिए गए मानदंड को पास किया है उम्मीदवारों की पात्रता को स्पष्ट करना चाहिए था। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी जिनके लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक 50% और एससी और बीसी श्रेणी के लिए 45% और ईएसएम श्रेणी के लिए 40% थे, उन्हें रिक्तियों की संख्या के तीन गुना की सीमा तक योग्यता के क्रम में बुलाया जाना चाहिए था। 50% से कम और 45% तक के योग्य उम्मीदवारों को बुलाने के आयोग के 23.02.2021 के निर्णय (अनुलग्नक आर-3/2) के कारण मुकदमेबाजी का वर्तमान दौर शुरू हो गया है अयोग्य उम्मीदवारों जिनके पास न्यूनतम मानदंड, दिनांक 28.12.2020 के नोटिस के अनुसार, नहीं था, उन्होंने समय पर साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जाने के कारण अब इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसे आवश्यक रूप से टाला जाना चाहिए था क्योंकि जब पुनम देवी के मामले (सुप्रा) में प्रतिबंध आदेश पारित किया गया था, तब भी उक्त विवाद इस न्यायालय में प्रचलित था कि योग्यता को हटा दिया गया था, जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कट ऑफ पहले 102 अंक तय किया गया था और फिर घटाकर 100 अंक कर दिया गया । यह उस तर्क के कारण था, जो उस समय वकीलों द्वारा उठाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी संबंधित श्रेणियों के लिए लागू न्यूनतम योग्यता अंक हासिल कर लिए हैं और इसीलिए, उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया है, लेकिन उनके रोल नंबर साक्षात्कार के प्रयोजनों के लिए शामिल नहीं थे।

(Para 27)

आगे यह माना गाया है कि आवेदन पत्र भरते समय यह उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे इस तथ्य के बारे में सही घोषणा करें कि उनके पास विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और संबंधित नियमों और निर्देशों सहित विचाराधीन पद के लिए अपेक्षित आवश्यक योग्यताएं हैं। बोर्ड को उम्मीदवारों द्वारा न्यूनतम मानदंड पास करने के बाद ही बाद के समय में पात्रता की जांच करने की आवश्यकता होगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे उन आवेदनों की संख्या में भी कमी आएगी जिनकी आयोग को भर्ती प्रक्रिया में जांच करनी होती है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि शुरुआती 10390 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, मुकदमेबाजी के कारण एक दशक की अवधि में लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटकर 5459 हो गई है। अंततः केवल 3131 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया

गया था और 816 में से 3 गुना संख्या में अंततः 2448 को बुलाया जाना था, जबकि वर्तमान मामले में, बुलाए गए नंबर 2539 हैं, जिसे उचित रूप से उचित ठहराने की मांग की गई है जिसका तथ्य यह है कि कई उम्मीदवारों के अंक समान हैं और इसलिए, उन्हें साक्षात्कार प्रयोजनों के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए।

(Para 29)

इसके अलावा, यह माना गया कि केवल इसलिए कि उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, इससे उसे नियुक्त होने का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिल जाएगा और यदि उसके आवेदन में कोई दोष है तो उसे बाद के चरण में चयन के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। यह माना गया कि न्यायालयों को उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के कारणों की जांच करनी है और क्या यह वैध या अनुचित या मनमाना है और रोक का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

(Para 30)

इसके अलावा, यह माना जाता है कि इसलिए, इससे किसी भी अटूट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि केवल उम्मीदवारों के बीच दूसरा पेपर वितरित होने के कारण, केंद्र संख्या 15 के उम्मीदवार, किसी भी स्तर पर, आगे निकल गये थे या उन्हें एक बेहतर स्थिति में रखा गया था। परीक्षा प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित किया जाना है और जैसा कि देखा गया है, अध्यक्ष द्वारा मुख्य परीक्षक की रिपोर्ट मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि दूसरा पेपर भी उसी कठिनाई स्तर का था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्राधीक्षकों द्वारा गलत प्रश्न पत्र खोलने और वितरित करने के कारण हुई उक्त गलती के कारण 39 अन्य केंद्रों पर उम्मीदवार के अधिकार खतरे में पड़ गए। खुलासे को रोकने के लिए, कभी-कभी उम्मीदवारों को अलग-अलग प्रश्न पत्र दिए जाते हैं और चयन एजेंसियों द्वारा संतुलन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है और इसलिए,

यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि 61 उम्मीदवार केंद्र संख्या 15 से साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया गये हैं। यह प्रतिवादी-आयोग की ओर से, किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे के कारण था।

(Para 32)

स/श्री रविंदर बांगर, वकील, संचित पुनिया, वकील
जसबीर मोर, वकील, श्वेता सांघी, वकील, रविंदर मलिक (रवि), वकील,
एसएस साहू, अधिवक्ता, ललित ऋषि,वकील, रवि शर्मा, अधिवक्ता,
मजलिश खान वकील विक्रम श्योराण अधिवक्ता के लिए निशा मलिक अधिवक्ता,
एस.एस.शेखावत अधिवक्ता, परवीन दहिया अधिवक्ता, के लिए सज्जन सिंह अधिवक्ता,
विवेक शर्मा वत्स, अधिवक्ता, एस.के.रेढू, अधिवक्ता याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से।
बलदेव राज महाजन, महाधिवक्ता, हरियाणा के साथ हरीश नैन, ए.ए.जी. हरियाणा।
विजय पाल, अधिवक्ता, सीडब्ल्यूपी-6911-2021 में प्रतिवादी संख्या 4 से 19 की ओर से।

जी.स्.सन्धावालिया, जे.

(1) वर्तमान निर्णय 32 रिट याचिकाओं यानी 2021 की सीडब्ल्यूपी संख्या 8634, 2983, 3001, 4960, 6108, 6124, 6127, 6202 (ओ एंड एम), 6203, 6242, 6375, 6391, 6405, 6411, 6529, 6531, 6540, 6658, 6662, 6665, 6873, 6877, 6909, 6911, 6912, 6914, 7015, 7243, 7351, 7717, 8241, 8244 का निपटारा करेगा। तथ्य 2021 की सीडब्ल्यूपी संख्या 8634 और 691 से लिए गए हैं। वर्तमान मामलों में यह मुद्दा समान है जैसा कि विज्ञापन संख्या 6 दिनांक 20.07.2006, श्रेणी संख्या 22 (अनुलग्नक पी-1) के तहत कला और शिल्प शिक्षकों के 816 पदों को भरने के लिए, शिक्षा विभाग हरियाणा में कला और शिल्प शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के संचालन के लिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (संक्षेप में 'आयोग') द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के लिए चुनौती दी गयी है।

(2) मामले की पृष्ठभूमि आवश्यक है क्योंकि उक्त भर्ती प्रक्रिया का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21.08.2006 निर्धारित की गई थी। उक्त पदों का विवरण इस प्रकार है:-

"(सामान्य = 387, एससी ए = 82, एससी बी = 82, बीसी ए = 131, बीसी बी = 88, ईएसएम (सामान्य) = 29, ईएसएम (एससी-ए) = 1, ईएसएम (एससी-बी) = 1,ईएसएम (बीसी-ए)=3, ईएसएम (बीसी-बी)=3,
उत्कृष्ट खिलाड़ी (सामान्य)=4,

उत्कृष्ट खिलाड़ी (एससी-ए)=1, उत्कृष्ट खिलाड़ी (एससी-बी)=1,
उत्कृष्ट खिलाड़ी (बीसी-ए)=1, उत्कृष्ट खिलाड़ी (बीसी-बी)=1"

(3) आवश्यक योग्यताएं हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं या उक्त बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता और हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कला और शिल्प परीक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता हैं। ₹4,500-7,000/- रुपये वेतनमान वाले पद के लिए मैट्रिक स्तर तक हिंदी का ज्ञान आवश्यक था। आरक्षित श्रेणियों के मामले में आयु में छूट हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार थी और आरक्षण भी सरकार के निर्देशों के अनुसार होना था। प्रारंभ में, उक्त विज्ञापन के अनुसरण में 10,390 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और प्राप्त आवेदनों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने विज्ञापित योग्यता के अनुसार और उनकी पात्रता का अंतिम निर्धारण बाद में करने के लिये, नियत तिथियों पर लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। दिनांक 11.06.2008 के नोटिस के अनुसार, परीक्षा 13.07.2008 को होनी थी और इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न थे, प्रत्येक 2 अंक का था। लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक निम्नानुसार निर्धारित किए गए थे: -

अ)	**सामान्य श्रेणी उम्मीदवार**	50%
ब)	एससी, बीसी श्रेणी उम्मीदवार	45%
स)	ईएसएम उम्मीदवार	40%
द)	डीईएसएम और उत्कृष्ट खिलाड़ी	जनरल, एससी, बीसी के अनुसार उम्मीदवार, जैसा भी मामला हो

(4) मौखिक परीक्षा के लिए 25 अंक होने थे और रिक्तियों की संख्या के 3 गुना के बराबर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना था, जो दिनांक 11.06.2008 के नोटिस (अनुलग्नक पी-2) से स्पष्ट होगा। एक महीने बाद, दिनांक 11.07.2008 को, आयोग ने विज्ञापित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, साक्षात्कार के लिए संबंधित श्रेणियों में विज्ञापित पदों के 8 गुना उम्मीदवारों को चुनने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित सीमा निम्नानुसार तय की गई:

क्र.सं.	वर्ग	% शत
1	सामान्य	53%
2	अनुसूचित जाति	33%
3	बीसी-ए	33%
4	बीसी-बी	42%
5	ईएसएम-जनरल	33%
6	ईएसएम-एससी	49%
7	ईएसएम-बीसीए	33%
8	ईएसएम-बीसीबी	52%
9	ओएसपी-जनरल	48%
10	ओएसपी-एससी	37%
11	ओएसपी-बीसीए	46%
12	ओएसपी-बीसीबी	42%

(5) साक्षात्कार सितंबर और अक्टूबर, 2008 में आयोग के कार्यालय और राज्य भर में फैले जिला मुख्यालयों के विभिन्न विश्राम गृहों में होने थे। 31.07.2008 (अनुलग्नक पी-4) को मामले पर पुनर्विचार किया गया और आयोग ने उक्त पदों के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों को उसी अवधि के दौरान एक ही स्थान पर साक्षात्कार के लिए बुलाने का निर्णय लिया और तदनुसार, साक्षात्कार आयोजित किए गए, जिसमें 7106 उम्मीदवार उपस्थित हुए और उसके बाद परिणाम 25.03.2010 को घोषित किया गया। परिणामस्वरूप, इस प्रक्रिया को विभिन्न रिट याचिकाएँ दायर करके चुनौती दी गई और मुख्य मामला 2010 का ***सीडब्ल्यूपी नंबर 18482, सुमन कुमारी*** *बनाम* ***हरियाणा राज्य और अन्य का फैसला 20.02.2015*** को हुआ (अनुलग्नक पी-5)।

(6) विद्वान एकल न्यायाधीश, आयोग के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभिन्न पदों के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार करते हुए एक अनुरूप मानदंड निर्धारित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, एक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि रिकॉर्ड से कुछ भी समझा नहीं जा सका कि आयोग ने निर्धारित योग्यताओं और निर्धारित अंकों के अनुसार लिखित परीक्षा के लिए सार्वजनिक सूचना और प्रकाशित किए गए अंकों में से मौखिक परीक्षा 25 के संदर्भ में कमी निर्णय लिया था। . परिणामस्वरूप, रिक्तियों की संख्या से 8 गुना तक चयन के मानदंड में बदलाव हुआ, एक निष्कर्ष यह दर्ज किया गया कि साक्षात्कार समिति को उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों और शैक्षिक योग्यताओं और अंकों के

बारे में पता था। चयनित होने वाले उन अभ्यर्थियों को तदनुसार अकं दिये गये जिन्होंने अन्य की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे ।

(7) उस समय एक मुद्दा उठाया गया था कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कला और शिल्प में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इसे 2006 के ***सीडब्ल्यूपी संख्या 20630, सुमन लता और अन्य*** बनाम ***हरियाणा राज्य और अन्य*** में चुनौती दी गई थी जिसे 22.02.2007 को मंजूर कर दिया गया था और उम्मीदवारों को पात्र घोषित किया गया था। उक्त फैसले को 2007 की ***एसएलपी (सी) संख्या 8670, दविंदर भांकर और अन्य*** बनाम ***हरियाणा राज्य और अन्य*** में चुनौती दी गई थी, जिसमें शीर्ष अदालत द्वारा 10.07.2008 को यथास्थिति का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर भी, परिणाम चयन की घोषणा 25.03.2010 को की गई थी। इस प्रकार, यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि राज्य यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड भी पेश नहीं कर रहा था कि आयोग ने उक्त मुकदमे की लंबितता के मुद्दे पर विचार किया था। ऐसे में अभ्यर्थियों की पात्रता ही शून्य की स्थिति में थी, लेकिन शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन कर परिणाम घोषित कर चयन को अंतिम रूप दे दिया गया।

(8) परिणामस्वरूप, यह निष्कर्ष देते हुए कि चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मानदंड में बदलाव हुआ था, पूरे चयन को दूषित माना गया। इस प्रकार, कला और शिल्प शिक्षकों का चयन कानून के अनुसार नए सिरे से चयन करने के निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश को ***विनोद कुमार और अन्य*** बनाम ***हरियाणा राज्य और अन्य***[1] में खण्ड पीठ ने 10.11.2020 को बरकरार रखा था। यह ध्यान देने योग्य है कि ***रामजीत सिंह कर्दम और अन्य*** बनाम ***संजीव कुमार और अन्य***[2] मामले में शीर्ष अदालत ने इससे पहले, इस अदालत के एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दिनांक 11.09.2012 और 30.09.2013 द्वारा पारित शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (संक्षेप में 'पीटीआई') के पद पर चयन को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था। । यही बात श्रेणी संख्या 23 के तहत 2006 के विज्ञापन संख्या 6 दिनांक 20.07.2006 की विषय वस्तु भी थी और 1983 पीटीआई पद विज्ञापित किए गए थे। उक्त मामले में, शीर्ष न्यायालय द्वारा विज्ञापन के जवाब में आवेदन जमा करने वाले आवेदकों को नए चयन में भाग लेने की अनुमति देते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे। आयोग द्वारा इसका अनुपालन लॉक डाउन समाप्त होने के 5 माह की अवधि के भीतर किया जाना था। *रामजीत सिंह कर्दम के मामले* का प्रासंगिक भाग (सुप्रा) इस प्रकार है: -

---

[1]2020 (4) SCT 702
[2]2020 (2) SCT 491

"75. उपरोक्त चर्चाओं और निष्कर्षों के मद्देनजर, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ इन अपीलों का निपटान करते हैं:

ए. आयोग 2006 के विज्ञापन संख्या 6 द्वारा शुरू की गई पूरी चयन प्रक्रिया को 28.12.2006 को अधिसूचित मानदंड के अनुसार समाप्त करेगा, यानी 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा और 25 अंकों की मौखिक परीक्षा आयोजित करेगा। वे सभी आवेदक जिन्होंने उपरोक्त विज्ञापन के जवाब में आवेदन जमा किए थे, जिनमें चयनित लोग भी शामिल हैं, उन्हें निर्देशानुसार नए चयन में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

बी. जिन उम्मीदवारों का चयन हो चुका है और उन्होंने पीटीआई के पद पर काम किया है, उनसे पद पर काम करने के बदले प्राप्त वेतन और अन्य लाभों को वापस करने के लिए नहीं कहा जाएगा। उन अभ्यर्थियों से भी कोई रिफंड नहीं मांगा जाएगा जिन्होंने चयन के बाद नौकरी की और सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

सी. वर्तमान लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आयोग द्वारा काम शुरू करने की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर आयोग द्वारा पूरी प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए, जो प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित समय था।

(9) विद्वान खंडपीठ ने कर्दम सिंह मामले (सुप्रा) में शीर्ष अदालत के आदेशों से प्रेरणा लेते हुए, यह देखते हुए अपील खारिज कर दी कि पीटीआई और वर्तमान कला और शिल्प शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया समान तरीके से की गई थी। मानदंड बीच में बदल दिया गया है और इसलिए, एक समानांतर रेखा खींची जानी थी। परिणामस्वरूप, आयोग को चयनित उम्मीदवारों को नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति देकर चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए पांच महीने का समय दिया गया। 2020 की ***एसएलपी संख्या 14481, विजय पाल और अन्य*** बनाम ***मोहन लाल और अन्य*** को 14.12.2020 को खारिज कर दिया गया (2021की सीडब्ल्यूपी संख्या 8634 में अनुलग्नक पी -7)।

(10) उक्त निर्देशों के अनुसरण में, आयोग द्वारा 28.12.2020 को नया नोटिस (अनुलग्नक पी -8) जारी किया गया था कि उन सभी संबंधित लोगों के लिए जिन्होंने पहले आवेदन किया था, आयोग 31.01.2021 को परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा के लिए जो मानदंड पहले 200 अंकों का तय किया गया था, वही था। इसी प्रकार, न्यूनतम अर्हता अंक भी वही रहे और मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार के लिए भी 25 अंक होने थे और रिक्तियों की संख्या से 3 गुना उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर साक्षात्कार के लिये बुलाया जाना था।लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों से उम्मीदवारों की संबंधित श्रेणियों में योग्यता निर्धारित की जाती थी। नोटिस दिनांक 21.01.2021 (अनुलग्नक पी-9) के माध्यम से, उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से फोटो और हस्ताक्षर सहित अपने आवश्यक

विवरण अपलोड करने की आवश्यकता थी। 25.01.2021 (2021 के सीडब्ल्यूपी संख्या 8634 में अनुलग्नक पी-10) को उम्मीदवारों को जानकारी दी गई थी कि वे 27.01.2021 (अनुलग्नक पी-9) से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 30.01.2021 (अनुलग्नक पी-11) को इसी तरह के नोटिस द्वारा, उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर डाउनलोड करने का मौका दिया गया था और किसी भी कठिनाई के संबंध में एक सहायता मार्ग प्रदान किया गया था।

(10ए) 31.01.2021 को परीक्षा आयोजित करने के बाद, जिसमें 5459 उम्मीदवार बैठे थे, नोटिस दिनांक 01.02.2021 (अनुलग्नक पी-12) जारी किया गया था, जिसके तहत उत्तर कुंजी भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और 03.02.2021 से 09.02.2021 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। नोटिस दिनांक 03.02.2021 (अनुलग्नक पी-13) के माध्यम से आपत्तियों की अवधि को घटाकर 06.02.2021 कर दिया गया था। नोटिस दिनांक 23.02.2021 (अनुलग्नक पी-14) के माध्यम से,जो 01.03.2021 से 03.03.2021 के बीच निर्धारित की गई थी, विज्ञापित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए अनंतिम रूप से 3131 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ताऊ देवी लाल स्टेडियम, सेक्टर 3, पंचकुला में बुलाया गया था। अभ्यर्थियों को सभी मूल दस्तावेज, भरे गए सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों का सेट, जांच प्रपत्र , आई.डी.और डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रमाण और स्वप्रमाणित प्रति लाने का निर्देश दिया गया था। उक्त नोटिस में एक नोट भी डाला गया था कि यदि कोई उम्मीदवार पात्र पाया जाता है, तो यह साक्षात्कार के लिए कोई अधिकार नहीं रखेगा और केवल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना के भीतर आने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से 23.02.2021 को आयोग द्वारा आयोजित एक बैठक के बाद की गई थी (अनुलग्नक आर-1/6)। बैठकों की कार्यवाही के विवरण से पता चलता है कि यह इस आधार पर था कि आयोग के पास केवल परिणाम रजिस्टर और चयन सूची थी और उम्मीदवारों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे थे, उन्हें जारी किए गए प्रवेश पत्र के अनुसार रिकॉर्ड वे उल्लिखित श्रेणियों से भिन्न श्रेणियों से संबंधित हैं।। इस प्रकार, आयोग ने यह निर्णय लिया था कि उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक दस्तावेजों के अनुसार दस्तावेजों की जांच के समय उम्मीदवारों की श्रेणी की पुष्टि की जाएगी।

(11) आयोग ने तथ्य दर्ज किया कि नोटिस दिनांकित 28.12.2020 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग उत्तीर्ण प्रतिशत था. इसलिए, चूंकि उम्मीदवारों ने उम्मीदवारों की श्रेणी में बदलाव के लिए अनुरोध किया था, इसलिए लिखित परीक्षा में 45% अंक रखने वालों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाना था, ईएसएम श्रेणी के मामले को छोड़कर, जिसमें लिखित परीक्षा में 40% अंक

आवश्यक थे। इसके अलावा, यह दर्ज किया गया कि लिखित परीक्षा में आवश्यक अंकों के न्यूनतम प्रतिशत में कमी किसी भी उम्मीदवार को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं बनाएगी। उनकी पात्रता केवल उम्मीदवार की श्रेणी और पात्रता मानदंड/उत्तीर्ण प्रतिशत के अनुसार आवश्यक अंकों के आधार पर ही मानी जाएगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। आयोग को प्रत्येक श्रेणी में केवल तीन गुना योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाना था। नोटिस दिनांक 10.03.2021 (अनुलग्नक पी-22) के माध्यम से दस्तावेजों की जांच के आधार पर उम्मीदवारों को अनंतिम रूप से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। यह आगे विज्ञापन के अनुसार पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन था। अंतिम सूचीबद्ध उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक प्रत्येक संबंधित श्रेणी के सामने कोष्ठक में दिए गए थे। उदाहरण के लिए:-

क्र.सं.	**वर्ग**	**कट ऑफ मार्क्स**
1	सामान्य	102
2	एससीए/एससीबी	90
3	बीसीए	96
4	बीसीबी	100
5	ईएसएम जनरल	84
6	ईएसएम एससी-ए	126
7	ईएसएम बीसीए	94
8	ईएसएम बीसीबी	104
क्र.सं.	**वर्ग**	**कट ऑफ मार्क्स**
9	ओएसपी जनरल	106

(12). साक्षात्कार 14.03.2021 से 18.03.2021 के बीच होना था। नोट 2 और 3 के अनुसार, जो उम्मीदवार अनंतिम रूप से पात्र थे, उनका अनंतिम साक्षात्कार नहीं किया जाना था (अन्यथा गलत तरीके से लिखा गया था) जब तक कि उम्मीदवार एतराज़ दूर नहीं कर देते। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान उठाए गये एतराजों को दूर करने के लिए साक्षात्कार के समय सभी सहायक दस्तावेज़ लाने होंगे। खंड 3 में आगे प्रावधान किया गया है कि उम्मीदवार जो उस श्रेणी से संबंधित है जिसके तहत प्रवेश पत्र जारी किया गया था, उसे अपना सहायक प्रमाण पत्र लाना होगा। इसी तरह, जिन अभ्यर्थियों ने मार्कशीट जमा की थी, जहां जारी करने की कोई तारीख नहीं बताई गई थी या मार्कशीट जारी करने की तारीख कट ऑफ डेट के बाद थी, उन्हें

संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारी से प्रमाण पत्र लाना होगा कि प्रमाण पत्र को तारीख पर जारी किया गया पढ़ा जाए और प्रमाणपत्र में अधिसूचना और परिणाम की घोषणा की तारीख का भी उल्लेख किया जाना था। खंड 5 के अनुसार, उम्मीदवार को कट ऑफ तिथि से पहले जारी किए गए सभी सहायक दस्तावेज लाने थे, जिन पर पात्रता तय करने के लिए विचार किया जाना था और खंड 6 के अनुसार यदि उम्मीदवार न्यायालय के फैसले के आधार पर पात्र थे, तो उन्हें वही लाने की आवश्यकता थी। खंड 7 में आगे प्रावधान किया गया है कि किसी भी दस्तावेज को जमा करने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा और साक्षात्कार के बाद उम्मीदवार द्वारा किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा।

(13). इसी तरह का एक नोटिस दिनांक 18.03.2021 (अनुलग्नक पी-28) दिनांक 10.03.2021 के नोटिस की निरंतरता में जारी किया गया था, जिसमें अतिरिक्त उम्मीदवारों को 20.03.2021 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। सामान्य वर्ग की मेरिट को 102 से घटाकर 100 कर दिया गया, जबकि बीसीए के लिए 96 से 94 और बीसीबी के लिए 100 से 98 कर दिया गया। नोट में दो अतिरिक्त धाराएं लगाई गईं कि इस न्यायालय के निर्देश वाले उम्मीदवार भी 20 मार्च 2021को साक्षात्कार और जांच के लिए आएंगे। इस तथ्य के अलावा कि परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध था। 23.03.2021 को, इस न्यायालय द्वारा 2021 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6911 में एक प्रतिबंध आदेश पारित किया गया था, जिसमें वकीलों के इस तर्क को ध्यान में रखा गया था कि उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया था, यह ध्यान में रखते हुए कि सामान्य वर्ग से सम्बन्धित होते हुए उन्होंने न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए थे। लेकिन 18.03.2021 को जारी किए गए नोटिस में उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था और तथ्य यह है कि पात्रता के मुद्दे पर ध्यान दिए बिना, आयोग रिक्तियों की संख्या के 3 गुना के बराबर उम्मीदवारों को बुला रहा था। 05.04.2021 (अनुलग्नक पी-30) को, आयोग ने अपनी वेबसाइट पर कोड 0121 और 1121 वाले दोनों प्रश्न पत्रों के लिए संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी अपलोड की।

(14). याचिकाकर्ताओं के वकील ने तदनुसार तर्क दिया है कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, कुछ उम्मीदवार विज्ञापन की अंतिम तिथि के अनुसार पात्र नहीं थे, जबकि एक बीसीए की श्रेणी में परवेश कुमारी रोल नंबर 2660003793 को साक्षात्कार के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्र दिनांक 12.03.2021 (अनुलग्नक पी -15) पर भरोसा किया गया था।यह बताया गया है कि उन्होंने 08.09.2008 (अनुलग्नक पी-18) को कला और शिल्प में अपना डिप्लोमा हासिल किया, जो कि कट ऑफ डेट यानी 21.08.2006 के बाद है, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से भी है। ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में आवश्यक कथन पैरा संख्या 22में दिए गए हैं। यह विशेष रूप से कहा गया है कि पहले भी एक अवसर पर, **सुमन कुमारी** के मामले (सुप्रा) में एकल न्यायाधीश ने भी उम्मीदवारों के दस्तावेजों का हवाला देते हुए फैसले के पैरा संख्या

7में उक्त उम्मीदवार की अयोग्यता का उल्लेख किया था। यह बताया गया है कि एक प्रमाणपत्र से पता चलता है कि उसने 2006 में अंतिम वर्ष की परीक्षा दी थी और परिणाम दिनांक 14.05.2006 (अनुलग्नक पी-17) था, जबकि दूसरे प्रमाणपत्र से पता चला कि उसकी अंतिम परीक्षा मई, 2008 में हुई थी और परिणाम 08.09.2008 को घोषित किया गया। तदनुसार यह तर्क दिया गया है कि यदि वह पात्र नहीं थी, तो उसे साक्षात्कार के लिए बुलाने का सवाल ही नहीं उठता।

(15) राज्य का जवाब इस हद तक है कि उम्मीदवारों की पात्रता की प्रक्रिया दस्तावेजों की जांच के समय जांच की जानी थी, जो लिखित परीक्षा के बाद आयोजित की जानी थी और अंतिम तिथि से पहले अपनी पात्रता साबित करने का भार पहले उम्मीदवारों पर था। 2016 के ***सीडब्ल्यूपी संख्या 22746, सतीश कुमार मलिक और अन्य*** *बनाम* ***हरियाणा राज्य और अन्य*** में दिनांक 15.11.2016 को समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्देशों पर भरोसा किया गया था ताकि यह उचित ठहराया जा सके कि जांच लिखित परीक्षा के बाद होनी थी और सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच कम हो जाएगी। यह स्वीकार किया गया कि उत्तरदाताओं ने उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तारीख तक अपनी पात्रता साबित करने का मौका दिया था और प्रतिवादी-आयोग की ओर से कोई दुर्भावना नहीं है। दिनांक 10.03.2021 के नोटिस में दिए गए नोट्स पर तदनुसार भरोसा किया गया। यह तर्क दिया गया कि 14.03.2021से 18.03.2021 तक साक्षात्कार के बाद अनंतिम रूप से अनुमति प्राप्त उम्मीदवार जो अपनी पात्रता साबित नहीं कर सके, उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। मानदंड और अंतिम परिणाम के अनुसार साक्षात्कार के लिए 3 गुना की संख्या को पूरा करने के लिए दिनांक 18.03.2021 के नोटिस के माध्यम से अधिक उम्मीदवारों को बुलाया गया था। अपनी-अपनी श्रेणी में आवश्यक अंक रखने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे और केवल संबंधित पद के लिए विचार किया जाएगा।

(16) इसी प्रकार, एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार मेनका की अयोग्यता का संदर्भ दिया गया है, जबकि उसने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से दोबारा डिप्लोमा किया है (अनुलग्नक पी-19), जिसमें डिटेल मार्क्स कार्ड दिनांक 14.08.2006 का था, लेकिन प्रकृति चित्रण के विषय की परीक्षा दोबारा देनी पड़ी। नवंबर, 2006 में आयोजित परीक्षा के लिए अंतिम डिप्लोमा प्रमाणपत्र (अनुलग्नक पी-20) 12.03.2007 को जारी किया गया था । यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त उम्मीदवार को रोल नंबर 2660009929 के तहत एडमिट कार्ड दिनांक 12.03.2021 (अनुलग्नक पी-21) के माध्यम से 18.03.2021 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। प्रासंगिक कथन रिट याचिका के पैरा संख्या23 में दिए गए थे जिस पर सामान्य तरीके से विवाद

किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा समान रूप से रखे गए उम्मीदवारों के विभिन्न रोल नंबरों का एक समान विवरण भी दिया गया था जो इस प्रकार है: -

"Roll Nos.	2660004386,		2660007520,
2660009734,	2660008528,	2660009755,	2660002198,
2660005705,	2660006002,	2660001144,	2660003126,
2660009920	2660002664,	2660009121,	2660000562"

(17) यह तर्क दिया गया कि उक्त रोल नंबरों के लिए दस्तावेज़ आसानी से उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड में रखा जाएगा। रोल नंबर 2660005780 वाले एक परदीप लांबा की अनियमितता पर एक और विशिष्ट दावा किया गया है, जिसे बीसीए की श्रेणी में 16.03.2021 को साक्षात्कार के लिए दिनांक 12.03.2021 को प्रवेश पत्र (अनुलग्नक पी -23) जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 10.03.2021 से, जिसमें उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, यह बताया गया कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति वर्ग में आता है। परिणामस्वरूप, ***भूपिंदर पाल सिंह और अन्य*** *बनाम* ***पंजाब राज्य***[3] में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है कि जिन उम्मीदवारों के पास कट ऑफ तिथि पर पात्रता और योग्यता नहीं है, वे विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। इसी प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 23.02.2021 के निर्णय (अनुलग्नक आर-3/2) के तहत, आयोग ने कट ऑफ को 45% तक कम करके उन व्यक्तियों को गलत तरीके से बुलाया जो पात्र नहीं थे और इसलिए, मानदंड गलत तरीके से बदल दिए गए थे जो कि अनुमति योग्य नहीं है। तदनुसार यह तर्क दिया गया है कि आयोग को इस हद तक अपना होमवर्क करना चाहिए था कि पहले अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर करना चाहिए था और उसके बाद केवल तीन गुना उम्मीदवारों जो पात्र थे, को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए था । तर्क यह दिया गया है कि जिन योग्य उम्मीदवारों ने कट-ऑफ दी थी, उन उम्मीदवारों को बुलाकर विचार के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है जो साक्षात्कार के लिए भी पात्र नहीं हैं। इसी प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से दी थी, उन्हें भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जबकि उक्त उदाहरणों को इंगित करने के लिए परवेश कुमारी और मेनका के मामले का भी जिक्र किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक बार शीर्ष न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया था और पात्रता, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार का विषय है और निर्णय भी 05.08.2021 को सुरक्षित रखा गया है।

---

[3]2000 (5) एस. सी. सी. 262

(18) वकील ने तदनुसार यह भी प्रस्तुत किया है कि आयोग ने 23.02.2021 को आयोजित अपनी बैठक में स्वयं स्वीकार किया है कि उसके पास उम्मीदवारों का पूरा रिकॉर्ड नहीं है और उसके पास केवल परिणाम रजिस्टर और चयन सूची है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड को गलत तरीके से नष्ट कर दिया गया है, भले ही यह 20.02.2015 को पहले समय पर एकल न्यायाधीश के संदर्भ के लिए उपलब्ध था। यह प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा चल रहा था जब तक एलपीए लंबित था और मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया, इसलिए, सरकार के निर्देशों के अनुसार, जब मुकदमा लंबित है, तो रिकॉर्ड को नष्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। तदनुसार, शीर्ष अदालत के ***पूनम रानी उर्फ पूनम*** बनाम ***हरियाणा राज्य और अन्य***[4] मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में, अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर करने के बाद नए सिरे से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित किया जाना चाहिए। यह प्रार्थना कि आयोग द्वारा दो बार अपने कर्तव्यों में विफल रहने के कारण, यह प्रक्रिया एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में आयोजित की जाए।

(19) आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि दायर की गई अपीलों में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष परस्पर विरोधी बयान दिए जा रहे थे, जिसके तहत अंतरिम रोक नहीं दी गई थी और यह भी कि उत्तरदाताओं ने अपने जवाब में खुद स्वीकार किया है कि 2021 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6911 में , याचिकाकर्ता नं. 15 अर्थात महेश कुमार, रोल नंबर 2660007879 के पास साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक थे, लेकिन अनजाने में हुई त्रुटि के कारण उन्हें नहीं बुलाया गया।

(20) रिट याचिका के पैरा संख्या 19 में लगाए गए आरोपों पर भरोसा किया गया था कि कुरुक्षेत्र के केंद्र के लिए पिपली में केंद्र संख्या 15 पर 250 उम्मीदवार थे और उम्मीदवारों को एक अलग प्रश्न पत्र दिया गया था, जबकि अन्य उम्मीदवारों के लिए जो लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे। , कोड संख्या 0121 और 1121 वाले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। तदनुसार यह तर्क दिया गया कि एक अलग प्रश्न पत्र जिसमें कोड 1121-ए था,प्रदान किया गया था, जिसे रिकॉर्ड में रखा गया है, ।

(21) इस तथ्य को उत्तरदाताओं ने अपने उत्तर में यह कहते हुए स्वीकार किया है कि 40 केंद्र थे और प्रश्न पत्रों के 2 सेट मुद्रित किए गए थे और अलग-अलग रंग के बक्से में पैक किए गए थे, यानी लाल और हरे रंग में, जिन्हें परीक्षा केन्द्रों पर फ्लाइंग दस्ता अधिकारी द्वारा वितरित किया गया था। केंद्राधीक्षकों को 10 बजे ही सूचित कर दिया गया था कि कौन सा बॉक्स खोला जाना है क्योंकि परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होनी थी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिपली के केंद्र में, केंद्र अधीक्षक द्वारा दोनों बॉक्स खोल दिए गए

---

[4]2012 (6) एस. सी. सी. 596

थे और गलत प्रश्न पत्र वितरित किया गया, जो हरे बॉक्स में प्रश्न पत्र के बजाय लाल बॉक्स में था। जब विसंगति सामने आई तो मुख्य परीक्षक से परामर्श किया गया और उन्होंने सलाह दी कि दोनों प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर समान था। इसलिए, आयोग परिणाम को अंतिम रूप देने के लिए आगे बढ़ा था। दोनों प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी को नोटिस पर रखा गया था और संबंधित केंद्रों में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार हरियाणा के विभिन्न जिलों से हैं और अन्य केंद्रों के उम्मीदवारों की तरह परीक्षा उत्तीर्ण की है। जो हुआ वह एक गलती थी और इसलिए, जानबूझकर नहीं की गई थी और इसलिए, उक्त केंद्रों पर परीक्षा रद्द नहीं करने और दोनों प्रश्न पत्रों को ओएमआर आधारित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए वैध मानने का निर्णय लिया गया।

(22) दिनांक 26.08.2021 के आदेश के तहत, दलीलें सुनते हुए, इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि एक हलफनामा दायर किया जाए कि अन्य केंद्रों से कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और क्या पूरे राज्य में 39 अन्य केंद्रों की तुलना में ,केंद्र संख्या 15 को एक अलग प्रश्न पत्र का उत्तर देने के कारण कोई अनुचित लाभ मिला है। मुख्य परीक्षक की राय का मूल रिकार्ड तब आया जब उनके संज्ञान में आ रही विसंगति के संबंध में उनकी राय भी पेश करने को कहा गया।

(23) उक्त निर्देशों के जवाब में, आयोग के सचिव द्वारा दिनांक 01.09.2021 को हलफनामा (अनुलग्नक आर 3/1) दायर किया गया था जिसमें 40 केंद्रों का विवरण दिया गया था, जिसमें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसी प्रकार, समतुल्यता प्रमाण पत्र भी दाखिल किया गया है जो मुख्य परीक्षक द्वारा दिनांक 02.02.2021 को जारी किया गया है जिसमें दर्शाया गया है कि कला और शिल्प शिक्षक के पद के लिए दोनों प्रश्न पत्रों कोड संख्या 0121 और 1121 का मानक समान थे और कठिनाई स्तर समान होने के कारण सामान्यीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार, हलफनामे से पता चलता है कि 250 उम्मीदवारों में से केवल 134 उम्मीदवार (53.60%) उपस्थित हुए थे और 61 को साक्षात्कार (45.52%) के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इस प्रकार, चार्ट से पता चलता है कि सभी केंद्रों में उपस्थिति 47% से अधिकतम 58.50% तक भिन्न थी। सभी 40 केंद्रों से साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों का प्रतिशत भी 39.76 से 57% के बीच है।

(24) विद्वान महाधिवक्ता ने चयन बारे सफाई पेश की और इस आधार पर उठाए गए तर्कों का विरोध किया कि चयन एक दशक से अधिक समय से मुकदमेबाजी में है और आयोग एकल न्यायाधीश के

निर्देशानुसार और डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखे गए समयबद्ध तरीके से इसे पूरा करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए, लिए गए सभी निर्णय प्रामाणिक थे और चेयरमैन के खिलाफ आरोप अनावश्यक थे और उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि रिकॉर्ड पुराना होने के कारण, आयोग ने उम्मीदवारों को उनकी पात्रता की पुष्टि करने के लिए बुलाने का सहारा लिया था और एकल न्यायाधीश ने 100 एकाधिक प्रश्नों के लिए 75 मिनट प्रदान करने के खिलाफ प्रक्रिया को चुनौती देने वाली रिट याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था जिसे 19.01.2021 को एकल न्यायाधीश के समक्ष बिना किसी सफलता के चुनौती दी गई। इसके बाद, ***पूनम और अन्य*** बनाम ***हरियाणा राज्य और अन्य***[5] में डिवीजन बेंच ने भी 29.01.2021 को अपील खारिज कर दी थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि 2021 की ***सीडब्ल्यूपी संख्या 2796, तजिंदर कुमार और अन्य*** *बनाम* ***हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और एक अन्य*** भी विभिन्न प्रश्न पत्रों की आपूर्ति के मुद्दे की स्थापना को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसे 08.02.2021 को खारिज कर दिया गया था। यह मानते हुए कि यह चयन एजेंसी का विवेक था और इससे परीक्षा ख़राब नहीं होगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि 2021 का एलपीए नंबर 263 भी उसी के खिलाफ लंबित है। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया है कि अभ्यर्थियों से बायो मैट्रिक उपस्थिति ली गई थी और इसलिए, प्रतिरूपण के जो आरोप लगाए गए हैं वे बिना किसी आधार के हैं क्योंकि आयोग अपनी कठिन जिम्मेदारियों से अच्छी तरह वाकिफ था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उम्मीदवारों की योग्यता के तर्क को महाधिवक्ता ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि पार्टियों के बीच यथास्थिति का आदेश था और इस न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के वकील का यह तर्क देना उचित नहीं था कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उम्मीदवार अयोग्य हैं। तदनुसार, यह प्रार्थना की गई कि रिट याचिका खारिज करने योग्य है और भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, जिसे आयोग की सर्वोत्तम क्षमता से पूरा किया गया है।

<u>तर्क</u>

(25) विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने 09.09.2021 को आयोग के सचिव को एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था जिसमें उन उम्मीदवारों की संख्या का विवरण दिया गया था जिन्होंने पहले विज्ञापन के तहत आवेदन किया था और उनकी संख्या जो उम्मीदवार नए विज्ञापन के अनुसरण में लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। इसी प्रकार, दिनांक 10.03.2021 और 18.03.2021 के नोटिस के माध्यम से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या के साथ-साथ

---

[5]2021 (3) एस. सी. टी. 491

सभी श्रेणियों में तय किए गए बेंचमार्क को पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था।

(26) आदेश दिनांक 09.09.2021 के अनुपालन में आयोग के सचिव ने दिनांक 16.09.2021 को एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2006 में कुल 10390 उम्मीदवारों ने पदों के लिए आवेदन किया था। विज्ञापन के बाद दिनांक 28.12.2020, दिनांक 31.01.2021 को 5459 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। दिनांक 23.02.2021 के संकल्प के मद्देनजर दस्तावेजों की जांच के लिए 3131 उम्मीदवारों को बुलाया गया था, जिसमें विज्ञापित कुल 816 पदों के मुकाबले ईएसएम श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए 45% अंक या अधिक अंक वाले उम्मीदवार शामिल थे। विवरण भी दिया गया और विज्ञापित कुल 816 पदों के मुकाबले साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या 2539 थी। यह भी विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान सरकार के तहत 24.03.2015 को गठित होने के बाद से आयोग ने वर्तमान चयन से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया है। हालाँकि, यह उल्लेख किया गया है कि उसके पास चयनित उम्मीदवारों के 773 आवेदन पत्र थे, जो सेवा समाप्त होने के बाद निदेशक, स्कूल शिक्षा से प्राप्त हुए थे और 2015 के ***एलपीए नंबर 359 में, विनोद कुमार और अन्य*** *बनाम* ***हरियाणा राज्य और अन्य*** के निर्णय दिनांक 10.11, 2020 के मद्देनजर पहले चयनित उम्मीदवार थे। जिन व्यक्तियों को अपात्र बताया गया है उनका विवरण 2021 के सीडब्ल्यूपी नंबर 8634 के पैरा संख्या 22 और 24 में दिया गया है अर्थात् परवेश कुमारी पुत्री पारस राम जिसका रोल नंबर 2660003793 है और मेनका पुत्री राम फल जिसका रोल नंबर 2660009929 है, को विवादित कर दिया गया था। यह कहा गया है कि दस्तावेजों की जांच और साक्षात्कार के समय उनके मामलों को अयोग्य माना गया है। इसी प्रकार, योग्य उम्मीदवार विजय कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, जिसका रोल नंबर 2660005223 है, 2021 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6911 के पैरा नंबर 8 में उल्लिखित है, को भी अयोग्य उम्मीदवार बताया गया क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट में डिप्लोमा बारे उनका प्रमाण पत्र कट ऑफ डेट के बाद का था। उपरोक्त पैरा संख्या 16 में उल्लिखित अन्य रोल नंबरों के बारे में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि दो रोल नंबर यानी 2660006002 और 2660005705 को छोड़कर सभी उम्मीदवार पात्र नहीं पाए गए। हालाँकि, उपरोक्त दो रोल नंबरों के अभ्यर्थी पात्र पाए गए, अर्थात् रजनीश के पास 21.08.2006 की कट ऑफ तिथि से पहले 14.08.2006 को कला और शिल्प में डिप्लोमा था। इसी प्रकार, एक अन्य अभ्यर्थी शशि बाला को दस्तावेजों-सह-साक्षात्कार की जांच के समय संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मिला था कि वह कला और शिल्प में उक्त डिप्लोमा के मई, 2006 में आयोजित अंतिम वर्ष की परीक्षा 14.08.2006 को यानि कट ऑफ डेट से पहले शामिल हुई थी और उत्तीर्ण हुई थी। । इस प्रकार, महाधिवक्ता ने सही ही बताया है कि दिनांक 16.09.2021 को

अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने से, जो अस्पष्टता, जो शुरू में उठाई गई थी, उस हद तक दूर हो गई है। जो व्यक्ति अपात्र थे, उन्हें कटऑफ तिथि से पहले उनकी आवश्यक योग्यता और पात्रता प्रमाणपत्रों में विसंगतियों के कारण पात्र नहीं माना गया है, जो कि प्रश्नगत पद के लिए भर्ती के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए आवश्यक शर्त है।

(27) इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयोग द्वारा इस हद तक विसंगति की गई है कि सबसे पहले आवश्यक योग्यताओं की जांच करते समय उम्मीदवारों की पात्रता को स्पष्ट किया जाना चाहिए था और फिर उन व्यक्तियों की संख्या को सूचीबद्ध करना चाहिए जो विधिवत पात्र हैं और जिन्होंने 28.12.2020 के ताजा नोटिस में दिए गए बेंचमार्क को पूर्ण किया था। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी जिनके लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक 50% और एससी और बीसी श्रेणी के लिए 45% और ईएसएम श्रेणी के लिए 40% थे, उन्हें रिक्तियों की संख्या के तीन गुना की सीमा तक योग्यता के क्रम में बुलाया जाना चाहिए था। 50% से कम और 45% तक के योग्य उम्मीदवारों को बुलाने के आयोग के 23.02.2021 (अनुलग्नक आर-3/2) के निर्णय के कारण अयोग्य उम्मीदवारों के रूप में मुकदमेबाजी का वर्तमान दौर शुरू हो गया है, जिनके पास दिनांक 28.12.2020 के नोटिस के अनुसार न्यूनतम बेंच मार्क नहीं थी, बाद के समय में साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जाने के कारण अब इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसे आवश्यक रूप से टाला जाना चाहिए था क्योंकि जब **पुनम देवी** के मामले (सुप्रा) में प्रतिबंध आदेश पारित किया गया था, तब भी उक्त विवाद इस न्यायालय में प्रचलित था कि योग्यता को हटा दिया गया था, जिससे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए पहले कट ऑफ102 अंक तय किया गया था और फिर घटाकर 100 अंक कर दिया गया था। यह उस तर्क के कारण था, जो उस समय वकीलों द्वारा उठाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी संबंधित श्रेणियों के लिए लागू न्यूनतम योग्यता अंक हासिल कर लिए हैं और इसीलिए, उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया है, लेकिन उनके रोल नंबर साक्षात्कार के प्रयोजनों के लिए शामिल नहीं किये गये। यह संदेह, इस प्रकार, अब अतिरिक्त हलफनामे में निहित तालिका से दूर हो गया है जो इस प्रकार है: -

क्र.सं.	**वर्ग**	**पदों की संख्या**	**दिनांक 23.02.2021 के संकल्प के मद्देनजर श्रेणियों का निर्धारण**	**साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अपेक्षित उम्मीदवारों**	**साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या. कुल**	**पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या**

			करने के लिए दिनांक 23.02.2021 के परिणाम के माध्यम से दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाए गए 3131 उम्मीदवारों का विवरण (ईएसएम को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए 45% या अधिक अंक)	**की संख्या (श्रेणी-वार तीन गुना)**	**= (पहला नोटिस दिनांक 10.03.2021 + दूसरा नोटिस दिनांक 18.03.2021)**	**पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या**
	1	2	3	4	5	6
1	सामान्य	387	1720	1161 (1172+94)	1266 (1172+94)	1120 सामान्य श्रेणी के किसी भी अन्य उम्मीदवार को नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवार ने 100 अंक प्राप्त किए हैं जो सामान्य श्रेणी के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों के बराबर है।

2	अनुसूचित जाति	82+82=164	509	264+264=492	499	447 एससी-ए और एससी-श्रेणी में किसी भी अन्य उम्मीदवार को नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए एससी-ए और एससी-बी श्रेणी के अंतिम उम्मीदवार ने 90 अंक प्राप्त किए हैं जो एससी श्रेणी में न्यूनतम आवश्यक अंकों के बराबर है।
3	बीसीए	131	471	393	426 (396+29)	393 आवश्यक संख्या में उम्मीदवार बीसीए श्रेणी में साक्षात्कार के दौरान योग्य पाए जाते हैं
4	बीसीबी	88	363	264	311 (281+30)	270 आवश्यक संख्या में उम्मीदवार बीसीबी श्रेणी में साक्षात्कार के दौरान योग्य पाए जाते हैं

5	ईएसएम डीईएसएम डीएफएफ-जनरल	29	9+22+5=36	87	30	25 इस श्रेणी में कोई अन्य पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है
6	ईएसएम डीईएसएम डीएफएफ-एससी	01+01=2	010	6	1	1 इस श्रेणी में कोई अन्य पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है
7	ईएसएम डीईएसएम डीएफएफ-बीसीए	03	2	9	2	1 इस श्रेणी में कोई अन्य पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है
8	ईएसएम डीईएसएम डीएफएफ-बीसीबी	03	4	9	2	1 इस श्रेणी में कोई अन्य पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है
9	ओ एस पी-जनरल	04	5	12	2	1 इस श्रेणी में कोई अन्य पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है
10	ओ एस पी-एससी	01+01=2	0	6	0	0 इस श्रेणी में कोई अन्य पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है

11	ओ एस पी-बीसीए	02	0	6	0	0 इस श्रेणी में कोई अन्य पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है
12	ओ एस पी-बीसीबी	01	0	3	0	0 इस श्रेणी में कोई अन्य पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है
	कुल	**816**	**3131**		**2539**	

(28) इसके अवलोकन से पता चलता है कि उदाहरण के तौर पर सामान्य अभ्यर्थियों के 387 पदों के लिये 1161 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना था, जो कि संख्या से 3 गुना अधिक थी। हालाँकि, बेंचमार्क कम होने के कारण, उत्तरदाताओं ने सबसे पहले 1720 को बुलाया था। इसके बाद, दो साक्षात्कार नोटिसों के अनुसरण में, 1172+94 (कुल 1266) उम्मीदवारों को बुलाया गया, जिनमें से केवल 1120 को 100 अंकों का बेंचमार्क हासिल करने के लिए योग्य पाया गया, जो लिखित परीक्षा में आवश्यक 50% था। इस चूक के लिए दिए गए तर्क और औचित्य केवल इस तथ्य के आधार पर बताए गए हैं कि पद वर्ष 2006 में विज्ञापित किए गए थे और भर्ती प्रक्रिया इस न्यायालय द्वारा समयबद्ध थी। इस प्रकार, आयोग के पास उम्मीदवारों की पात्रता के विवरण की सीमा तक जो रिकॉर्ड उसके पास था, उसके संबंध में कठिनाइयाँ थीं। इस प्रकार, वकीलों द्वारा उठाए गए तर्क कि लिखित परीक्षा से पहले ही उम्मीदवारों की पात्रता पर विचार किया जाना चाहिए था, उचित नहीं है।

(29) आवेदन पत्र भरते समय यह उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे इस तथ्य के संबंध में सच्ची घोषणाएं करें कि उनके पास विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और संबंधित पदों से संबंधित प्रासंगिक नियमों और निर्देशों सहित अपेक्षित आवश्यक योग्यताएं हैं। बोर्ड को उम्मीदवारों द्वारा न्यूनतम बेंचमार्क पास करने के बाद ही बाद के समय में पात्रता की जांच करने की आवश्यकता होगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे उन आवेदनों की संख्या में भी कमी आएगी जिनकी भर्ती प्रक्रिया में आयोग को जांच करनी पड़ती है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि शुरुआती 10390 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, मुकदमेबाजी

के कारण एक दशक की अवधि में लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटकर 5459 हो गई है। अंततः केवल 3131 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया था और 816 में से 3 गुना संख्या में अंततः 2448 को बुलाया जाना था, जबकि वर्तमान मामले में, बुलाए गए नंबर 2539 हैं, जिसे उचित रूप से उचित ठहराने की मांग की गई है। तथ्य यह है कि कई उम्मीदवारों के अंक समान हैं और इसलिए, साक्षात्कार प्रयोजनों के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए उन्हें समान अवसर दिया जाना चाहिए।

(30) ***टी. जयकुमार*** *बनाम* ***ए. गोपू और अन्य***[6] में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया जा सकता है। उक्त मामले में, एक उम्मीदवार ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीलकर्ता की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वह बेहतर योग्य था और ट्रिब्यूनल ने माना था कि उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और इसलिए, यह अधिकारियों के लिए सही नहीं था कि उसे इस आधार पर कि उसका आवेदन सही नहीं था, गौर किये बिना बाहर कर दिया । इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और अंततः इसे उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया। यह माना गया कि केवल इसलिए कि उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, इससे उसे नियुक्त होने का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिल जाएगा और यदि उसके आवेदन में कोई दोष है तो उसे बाद के चरण में चयन के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। यह माना गया कि न्यायालयों को उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के कारणों की जांच करनी है और क्या यह वैध या अनुचित या मनमाना है और रोक का सिद्धांत लागू नहीं होगा। **टी. जयकुमार** के मामले (सुप्रा) में प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> "हम कानून के किसी भी सिद्धांत से अवगत नहीं हैं जिसके तहत एक बार जब किसी उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है तो चयन प्राधिकारी को यह जांचने से रोक दिया जाता है कि उसका आवेदन पूरा था, क्रम में था, समय के भीतर था या अन्यथा स्वीकार्य था। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि जो उम्मीदवार को अयोग्य बनाती है, उसे प्रारंभिक स्क्रीनिंग में नजरअंदाज किया जा सकता है और परिणामस्वरूप उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है और चयन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिल सकता है, लेकिन अकेले इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार को आवेदन में त्रुटि सामने आने पर बाद के चरण में चयन के लिए अयोग्य माना जा सकता है। निश्चित रूप से न्यायाधिकरण यह जांच करने के लिए स्वतन्त्र है कि चयन प्राधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को चयन के लिए

---

[6]2008 (9) एस. सी. सी. 403

अयोग्य ठहराए जाने का कारण वैध या अनुचित और मनमाना था। यदि किसी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर करने का कारण अनुचित या मनमाना पाया जाता है तो न्यायाधिकरण निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन यदि कारण स्वयं वैध है तो न्यायाधिकरण केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। ऐसे मामले में रोक के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं होता है"

(31) वर्तमान मामले में, जैसा कि देखा गया है, मुद्दा यह है कि जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की सीमा को पार नहीं किया था, उन्हें अयोग्य माना गया है और साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है। उस सीमा तक प्रतिवादी-आयोग की कार्रवाई में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि यह मानदंड था जो परीक्षा से पहले तय और निर्धारित किया गया था और आयोग इसके द्वारा विधिवत बाध्य है और इसे बदल नहीं सकता है। याचिकाकर्ताओं के पास केवल विचार का अधिकार है और नियुक्ति का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है और इसलिए, वे यह तर्क नहीं दे सकते कि दस्तावेजों की जांच के लिए एक बार बुलाए जाने के बाद, उन्हें नियुक्ति का अधिकार होगा।

(32) दो प्रश्नपत्र वितरित किये जाने तथा केंद्र क्रमांक 15 के अभ्यर्थियों को अलग प्रश्नपत्र मिलने का मामला भी ऊपर देखा गया है. राज्य द्वारा दिए गए अतिरिक्त हलफनामे दिनांक 01.09.2021 से यह भी पता चलता है कि केवल 53.60% उम्मीदवार उक्त केंद्र में उपस्थित हुए थे और केवल 45.52% को साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया था। प्रतिशत, इस प्रकार, अन्य केंद्रों के उम्मीदवारों के समान है, जहां उपस्थिति भी 47% से 58.50% के बीच थी और सूचीबद्धता भी 39.76% से 57% तक थी। इसलिए, इससे किसी भी खंडन योग्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि केवल अभ्यर्थियों के बीच दूसरा पेपर वितरित होने के कारण, केंद्र संख्या 15 के अभ्यर्थियों ने, किसी भी स्तर पर, बाज़ी मार ली थी या बेहतर स्थिति में आ गए थे । परीक्षा प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित किया जाना है और जैसा कि देखा गया है, अध्यक्ष द्वारा मुख्य परीक्षक की रिपोर्ट मांगी गई थी। उनका मानना है कि दूसरा पेपर भी उसी कठिनाई स्तर का था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्राधीक्षकों द्वारा गलत प्रश्न पत्र खोलने और वितरित करने के कारण हुई उक्त गलती के कारण 39 अन्य केंद्रों के अभ्यर्थीयों के अधिकार खतरे में पड़ गए। खुलासे को रोकने के लिए, कभी-कभी उम्मीदवारों को अलग-अलग प्रश्न पत्र दिए जाते हैं और चयन एजेंसियों द्वारा सन्तुलन प्रणाली की व्यवस्था भी की जाती है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि केंद्र संख्या 15 से 61 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।, यह प्रतिवादी-आयोग की ओर से, किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे के कारण था।

(33) परिणामस्वरूप, उक्त तर्क में भी कोई दम नहीं है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसी तरह के तर्क को 2021 के ***सीडब्ल्यूपी नंबर 2796, तेजिंदर कुमार और अन्य*** बनाम ***हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अन्य*** में एक अन्य समन्वय पीठ द्वारा भी खारिज कर दिया गया है, जब रिट याचिका उस चरण में ही 08.02.2021 को खारिज कर दी गई थी। यद्यपि 2021 का एलपीए संख्या 263 लंबित हो सकता है।

(34) इसी तरह, यह सवाल कि क्या पार्टियों के बीच लंबित मुकदमे के कारण कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उम्मीदवारों को इस तरह से वंचित किया जाना चाहिए, यह भी अदालत को लंबे समय तक नहीं रोकेगा।

(35) यह विवादित नहीं है कि ***सुमन लता*** के मामले (सुप्रा) को मंजूर किया गया है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला और शिल्प में डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवारों को पात्र माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय जाने वाले उम्मीदवारों के एक अन्य समूह को यथास्थिति का आदेश दिया गया है, जो पार्टियों पर परस्पर प्रभाव डालेगा और उक्त रोक आयोग पर बाध्यकारी नहीं होगी। जैसा कि पहले देखा गया था कि डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा था और आगे निर्देश दिया था कि उपरोक्त विज्ञापन के तहत आवेदन जमा करने वाले आवेदकों को नए चयन में भाग लेने की अनुमति देकर चयन प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाए। उस समय ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी कि शीर्ष अदालत के समक्ष मामला लंबित होने तक मामले को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए और इसलिए, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है।

(36) तदनुसार, रिट याचिकाओं का वर्तमान सेट खारिज किया जाता है।

(37) हालाँकि, यह देखा गया है कि आयोग को भविष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और पात्रता भाग पर विचार किया जाए और पहले ही समय पर किया जाए। फिर योग्य अभ्यर्थियों की संख्या से केवल तीन गुना अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य में अन्य चयनों के संबंध में भी अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं होगी। यह भी बताया जाना चाहिए कि ***सतीश कुमार मलिक और अन्य*** (सुप्रा) के मामले में प्रतियोगिता के संबंध में इसी तरह के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिन्हें योग्य उम्मीदवारों तक सीमित रखा जाना है और राज्य सरकार/आयोग को सभी अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर करने के बाद इसे लागू करने के लिए निर्देशित किया गया था।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा

में इसे समझ कर और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रमाणित द्वारा:

संजय जैन (अनुवादक)

जिला एवं सत्र न्यायालय,पानीपत